SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case NoSum 68/18	Complaint or report madeon13-01-18
Name and address of the Compla	inantpolice station Malanpur
Name ,	parentage,caste and address of accused
	रामौतारसिंह भदौरिया उम्र 26 साल
	ा मण्डी मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०
	ST SULLI
The offence, co	nplainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप	है कि दिनांक 13.01.18 को 17:15 बजे मुकाम पुलिस फार
ब्रिगेड आफिस के बगल वाली र	ोड मालनपुर पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में :
क्वार्टर देशी मदिरा शराब विकय	⁻ ⁄परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने	आबकारी अधि0 1915 की धारा 34—1 (क) के अधीन दण्डर्न
अपराध कारित किया।	
क्या आप	को उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते ह
	हस्ता.
The plea o	of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से व	ण्डित करने का निवेदन है।
	हस्ता

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

/ / निर्णय / / (आज दिनांक 11.05.18 को घोषित)

- अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन 01. दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म / अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति 02. के आधार पर आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- अभियुक्त को आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के तहत न्यायाल 03. उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये 500 / - शब्दों में पांचसी रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात का साधारण कारावास की सजा भूगतायी जावे।
- जप्तशुदा सम्पत्ति शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के 04. कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

ALIHANA PRESIDENT TO THE PROPERTY OF THE PROPE

To A To